17/3/21 पत्रावली पेश हुई
पैरोकार सरकार उपस्थित है
निर्णय पृथक से लिखा जाकर
संलग्न किया गया पत्रावली
फैसल शुमार हो

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री उत्साह चौधरी (I.A.S.), उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

वादपत्र संख्या 6/2021 **दायर तारीख 01.03.2021**

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम्

1. मन्नीबाई पत्नी दुर्गालाल जाति कराड निवासी उदपुरिया, तहसील बिजौलियाँ।
2. मोडा पिता गोकल जाति कराड निवासी उदपुरिया, तहसील बिजौलियाँ।
3. केला पिता गोकल जाति कराड निवासी उदपुरिया, तहसील बिजौलियाँ।
4. मुकेश पिता प्यारा जाति कराड निवासी उदपुरिया, तहसील बिजौलियाँ।
5. सुरेश पिता प्यारा जाति कराड निवासी उदपुरिया, तहसील बिजौलियाँ।
6. संजू पुत्री प्यारा जाति कराड निवासी उदपुरिया, तहसील बिजौलियाँ।
7. गायत्री पत्नी प्यारा जाति कराड निवासी उदपुरिया, तहसील बिजौलियाँ।
8. सुन्दर लाल पिता खाना जाति कराड निवासी उदपुरिया, तहसील बिजौलियाँ।
9. सोहनलाल पिता खाना जाति कराड निवासी उदपुरिया, तहसील बिजौलियाँ।
10. सीताबाई पुत्री खाना जाति कराड निवासी उदपुरिया, तहसील बिजौलियाँ।
11. रूकमा पत्नी खाना जाति कराड निवासी उदपुरिया, तहसील बिजौलियाँ।
12. खाना पुत्र गोकल जाति कराड निवासी उदपुरिया, तहसील बिजौलियाँ।

................प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार।
2. मुकेश धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 17/03/2021

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उदपुरिया पटवार मण्डल उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 123 रकबा 2.00 बीघा किस्म माल द्वितीय प्रतिवादीगणों के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी संख्या 123 रकबा 2.00 बीघा भूमि में खातेदारों की मौके पर काश्त नही हैं। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि कृर्षि कार्य हेतु उपयोग नहीं ली जाकर अवैध खनन कार्य किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगणों द्वारा 100 गुणा 50 गुणा 3 फिट मिट्टी कटाई व 50 गुणा 50 गुणा 02 फिट पत्थर कटाई कर अवैध खनन किया हैं। अतः प्रतिवादीगणों की ग्राम उदपुरिया पटवार मण्डल उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां स्थित आराजी संख्या 123 रकबा 2.00 बीघा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये।

उपखण्ड अधिकारी

लगातार पेज संख्या 02 पर

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5, 8, 9, 12 की ओर से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

जवाब दावें के विशेष कथन में अंकित किया कि जिस आराजी संख्या पर अवैध खनन करना बताया गया है उस आराजी संख्या पर प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5, 8, 9, 12 का कब्जा नहीं है उक्त भूमि पारिवारिक बंटवाडे में गायत्री पत्नि प्यारा कराड के हिस्से में आई एंव उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि मन्नीबाई पत्नि दुर्गालाल कराड. को वर्ष 2018 में विक्रय कर दिया गया, तब से उक्त भूमि पर वही काबिज होकर उसका उपभोग कर रहा है। मौका पर्चा जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है, मौका पर्चा जवाबदाता प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5, 8, 9, 12 को बिना सुनवाई का अवसर दिये एंव प्रतिवादीगणों जवाबदाता की अनुपस्थिति में कायम किया गया है तथा मौके पर्चे में प्रतिवादीगणों सहखातेदारान द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजियत पर खनन कार्य करना अंकित किया है जो कि गलत है। जवाबदाता प्रतिवादीगणों द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजियत पर कोई खनन कार्य नहीं किया गया है। पारिवारिक बंटवाडें अनुसार उक्त भूमि पर प्रतिवादीगणों जवाबदाताओं का हक, अधिकार एव कब्जा नहीं है। अतः धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत यह वादपत्र चलने योग्य नहीं है।

अन्य विपक्षीगण वावजूद इतिल्ला के गैर हाजिर रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नये खाता संख्या 82 ग्राम उदपुरिया प0म0 उमाजी का खेडा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 एवं नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की हैं एवं मौका पर्चा दिनांक 25.02.2021 प्रस्तुत किया हैं जिसके अनुसार प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि पर 100 गुणा 50 गुणा 3 फिट एवं 50 गुणा 50 गुणा 02 फिट में अवैध खनन किया गया हैं। प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया।

—: आदेश :—

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम उदपुरिया पटवार मण्डल उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां स्थित आराजी संख्या 123 रकबा 2.00 बीघा किस्म माल द्वितीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 17/03/2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्साह चौधरी, IAS)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाडा